UPMP010007582026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 312/2026

इम्तियाज अहमद उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र निसार अहमद मूल निवासी महमूदनगर थाना कोतवाली सदर जिला मैनपुरी।

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

......विपक्षी/वादी

आदेश

यह **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रार्थी/अभियुक्त इम्तियाज अहमद की ओर से मुकदमा अपराध सं० 1095/2016 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. थाना कोतवाली**, जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि'' वादी मुकदमा/प्रार्थी के घर पर निसार अहमद मंसूरी का पुत्र इम्तियाज मंसूरी का आना जाना था, एक दिन मैंने इम्तियाज से ट्रैक्टर के खरीदने हेतु अपने निवास पर जानकारी चाही, दिनांक 21.12.2010 को इम्तियाज आपने पिता को लेकर मेरे घर पर आ गया तथा ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी तथा ट्रैक्टर के लिये एडवान्स 62,500 रुपये चेक नं0 619160 सिण्डीकेट बैंक मैनपुरी इम्तियाज मंसूरी के नाम से ले गये। इसके उपरान्त दिनाँक 21.01.2011 को निसार अहमद अपने पुत्र के साथ पुनः मेरे निवास पर आया तथा 1 लाख रुपया और मांगा, यह रुपया मैने अपनी पत्नी वर्तिका जो कि शिक्षिका है उनसे नगद उधार लेकर इम्तियाज को दे दिया तथा उसने मेरी कापी में अपने हस्तलेख में लिखकर रिसीव कर लिया। इसके उपरान्त निसार अहमद ने मुझको अवगत कराया कि अगर आप नगद खरीदते है तो आपको करीब 75000 रु0 के लगभग कम कीमत में ट्रेक्टर मिल जायेगा, मैं इनकी बातों में आ गया। दिनांक 31.01.2011 को निसार अहमद अपने पुत्र सादाव के साथ मेरे निवास पर आकर 85,000 रु० चैक न० 41916 सिण्डीकेट बैंक मैनपुरी अपने पुत्र सादाव के नाम से ले गया तथा पुनः दिनांक 23.04.2011 को निसार अहमद अपने पुत्र इम्तियाज के साथ मेरे निवास पर आया तथा 55,000 रु0 का चैक न० 004041 इम्तियाज मंसूरी के नाम से ले गया। दिनाँक 30.04.2011 को निसार अहमद अपने पुत्र के साथ और पैसे ले आया तब तक मुझे कुछ शंका हो गयी थी कि यह पिता पुत्र मुझको गुमराह कर रहे है तो निसार व इम्तियाज ने मुझे समझाया तथा सम्बन्धों का हवाला दिया तथा कहा कि अगर आप को शंका है तो मैं आपको गारन्टी के रूप में एक लाख का चैक दे रहा हूँ तथा मुझे एक चैक दिनांक 30.4.2011 को चैक न० 501310 खाता नम्बर 10370100006986

चालू खाता बैंक ऑफ बढ़ौदा का दे दिया कि अगर कोई समस्या हो ता आप पैसा निकाल लें, मै इनकी बातो से संतुष्ट हो गया तथा दिनाक 24.05.2011 को पुनः इम्तियाज अपने पिता के साथ आया तथा 35,000 रु० का चैक न० 684045 तथा 30,000 रु० चैक न 0 420755 सिण्डीकेट वैक मैनपुरी के चैक से पुनः ले गया। इसके उपरान्त निसार अहमद ने मुझे ट्रैक्टर नहीं दिया तथा कहा कि अब आपको छूट का ट्रैक्टर नहीं मिलेगा जमीन पर ले ले, मेरे द्वारा फर्द उपलब्ध करायी गयी तव इन्होने कहा कि जमीन आपके पास कम है तथा यह आपके पिता के नाम से बैंक में बन्धक है इस पर फाइनेन्स नहीं हो सकता. अब आपको पूरे रेट पर ही ट्रैक्टर लेना पड़ेगा जिसे मैने लेने से मना कर दिया तथा दिनाँक 01.08.2011 को इम्तियाज मंसूरी से चैक न० 501316 एक लाख रुपया खाता न० 1037100006996 चालू खाता बैंक आफ बडोदा का दिया, मैंने उक्त दोनो चैक 24 अगस्त 2011 को अपने खाता न० 8711/125/506 पीताम्बर ट्रेडिंग कम्पनी जिसका मैं मालिक हूँ, में लगाये तथा दोनों ही चैक इम्तियाज मंसूरी व उसके खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बाउन्स हो गये। इस प्रकार निसार अहमद मंसूरी व उसके पुत्रगण इम्तियाज मंसूरी व सादाब मंसूरी मुझसे आकर धोखा देकर झूठ बोलकर गुमराह कर 3,67,500 रु० तीन लाख सड़सठ हजार पांच सौ रुपया ले गये। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17.04.2012 को एक समझौता हुआ जिसमें इम्तियाज मंसूरी ने लिख कर दिया कि उक्त रकम का एक हिस्सा 2,50,000 रु० तथा 60,000 रु० व्याज अथवा छतिपूर्ति का दिनांक 31.05.2012 तक अदा करूंगा तथा शेष 1,17,500 रु० कुछ समय बाद वापस करेगा तथा उक्त दोनों चैक भी वापस ले गये। मैने भरोसा कर दे भी दिये। इसके उपरान्त उक्त लोगों ने पैसे दिये दिनाँक 28.05.2016 को इम्तियाज मंसूरी ने अपने मो०न० 9410044777 से मुझसे कहा कि चाचा जी आपका पैसा मुझ पर है मेरी गलती है मुझे कुछ समय दे, मैं आपका पैसा अदा करूंगा तथा दिनांक 09.05.2016 को भी मेरी इसी नम्बर पर बात हुयी जिसमें इसने पैसा लेना स्वीकार किया है। इस प्रकार निसार अहमद मंसूरी व उसके पुत्रगण क्रमशः इम्तियाज मंसूरी व सादाव मंसूरी ने मिलकर मुझे धोखा देकर छलकपट कर झूठ बोलकर 3,67,500 रु० ठग लिया है और न ही पैसा वापस कर रहे है। अतः मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को प्रस्तुत मुकदमें में झूठा नामित किया गया गया है जबिक प्रार्थी निर्दोष है। प्रस्तुत मुकदमें में अभियोजन द्वारा निम्नानुसार घटना क्रम दर्शाया गया है–

क– दिनांक 21.12.2010 को वादी ने 62,500/–रू0 का चैक सं०–619160 जो सिंडिकेट बैंक का था अभियुक्त को निर्गत किया गया जो ट्रैक्टर के लिए एडवांस के रूप में दर्शाया गया है इस समय अभियुक्त उसके पिता सहअभियुक्त निसार अहमद को भी दर्शाया गया है।

ख– दिनांक 21.01.2011 को पुनः निसार अहमद को उनके पुत्र के साथ वादी के घर पर आना दर्शाया गया है और वादी द्वारा 1,00,000/–रू० अपनी पत्नी वर्तिका से लेकर सह अभियुक्तगणों को देना नकद दर्शाया है जिसे एक कॉपी पर रिसीव किया जाना भी दर्शाया गया है।

ग– दिनांक 30.01.2011 को निसार व सादाब सहअभियुक्तों का आना दर्शाया गया है और 85,000/– रू० का चैक 41916 सिंडिकेट बैंक का चैक पुत्र सादाब के नाम से लिया जाना दर्शाया है।

घ– दिनांक 23.04.2011 को पुनः अभियुक्तगण निसार व इम्तियाज को वादी के आवास पर आना और

चैक सं०-004041 जो 55,000/-रू० का था, प्रार्थी अभियुक्त के नाम से जारी किया जाना दर्शाया है।

ड- दिनांक 30.04.2011 को एक चैक अभियुक्तगण निसार एवं इम्तियाज प्रार्थी के आने पर उनके द्वारा गारण्टी के तौर पर बैंक ऑफ बडौदा का उनके खाते का एक चैक मुवलिग 1,00,000/-रू० का वादी को दिया जाना दर्शाया गया है।

च- दिनांक 24.05.2011 को पुनः निसार एवं इम्तियाज का आना और उन्हें दो चैक 35,000-35,000/-रू0 के देना वादी ने दर्शाया है। उसके बाद वादी ने यह दर्शाया है कि छूट पर वादी को ट्रैक्टर नहीं मिल पायेगा, खेती पर ले लें तो वादी की खेती कम पड गयी और पिता के नाम से बैंक में बन्धक होने के कारण अब वादी को पूरे रेट पर ट्रैक्टर लेना पडेगा जिसे वादी ने लेने से मना कर दिया। दिनांक 01.08.2011 को पुनः इम्तियाज/ प्रार्थी ने 501316 चैक संख्या से 1,00,000/-रू० का एक चैक वादी मुकदमा को दिया।दिनांक 24.08.2011 को उक्त दोनों 1-1 लाख रू० के चैक वादी ने अपने खाता पीताम्बर ट्रेडिंग कम्पनी में लगाये जो अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बाउंस हो गये। दिनांक 17.04.2012 को पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें प्रार्थी ने लिखकर दिया कि रकम का एक हिस्सा 2,50,000/-रू० तथा 60,000/-रू० ब्याज या क्षतिपूर्ति का दिनांक 31.05.2012 तक अदा करूँगा। शेष 1,17,500/-रू० कुछ समय वापस करूँगा। तब उक्त दोनों चैक वादी ने भरोसा करके वापस कर दिये। इसके उपरान्त उक्त लोगों ने पैसे दिये। दिनांक 09.05.2016 को प्रार्थी ने फोन पर वादी से रुपये लेना स्वीकार किया। दिनांक 28.05.2016 को प्रार्थी ने फोन पर वादी से कहा कि मैं कुछ समय बाद रुपया वापस कर दूँगा। प्रस्तुत मुकदमें में मौखिक कथनांकों के अतिरिक्त सबूत के तौर पर जो इण्डेक्स वही खाता सं०-7 अ/2 पत्रावली पर लगा है वह अधूरा लगा है पूरा नहीं है, साथ कागज सं०-7 अ/8 पर जो वही खाता लगा है, उसमें 60,000/-रू० ब्याज का अदा करने का जिक्र है। इन दस्तावेजों से पृथक दृष्ट्या यह तो साबित है कि वादी अवैधानिक रूप से सूद खौरी व ब्याज का काम करते है और उन्होंने पुलिस से सांठ-गांठ करके प्रस्तुत मुकद्दमा स्वयं अपराधी व अपराध का बढावा देने के लिए व अभियुक्तगण पर दबाव बनाने के लिए दर्ज किया गया है और तुरन्त ही दौरान विवेचना सह अभियुक्त निसार अहदम को दिनांक 04.11.2016 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना पूर्णतः पक्षपात पूर्ण हुई है जो स्वतन्त्र नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निजी प्रयोग हेतु ट्रैक्टर क्रय किया जाना दर्शाया गया है जबकि चैक उनकी फर्म पीताम्बर ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर लिये व दिये जाने दर्शाये हुये है जो अवैधानिक है। एफ०आई०आर० में स्वयं वादी ने कहा है कि उसने दिनांक 24.05.2011 के बाद व 01.08.2011 के बीच में स्वयं अभियुक्तगण से ट्रैक्टर लेने से मना कर दिया था तथा अन्ततः अभियुक्तगण द्वारा तथाकथित धन वापस कर देने की बात कही गयी है। इस अनुसार धारा 406 व 420 आई०पी०सी० का अपराध कारित ही नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण पूर्ण रूपेण फर्जी है और सिविल प्रकृति का है जिसमें धन वसूली का दबाव बनाने के लिए फौजदारी वाद का रूप देकर व एफ०आई०आर० कराकर तथा गिरफ्तारी करके एक अभियुक्त को दौरान विवेचना जेल भी भेज दिया गया है। प्रस्तुत अभियोजन कथनांक से यह स्पष्ट है कि वाद में स्वयं वादी ने ट्रैक्टर लेने से मना कर दिया था, अभियुक्तगण ने नहीं। साथ ही अभियोजन ने यह भी कहा है कि अभियुक्तगण ने धन वापस लौटा देने के लिए कुछ और समय की माँग की थी। इस प्रकार ना हीं अभियुक्तगण का शुरू से ही कोई धोखा धड़ी का इरादा था और ना ही अभियुक्तगण द्वारा प्राप्त पैसे का कभी दुरूपयोग किया गया या अमानत में ख्यानत ही

की गयी है। प्रस्तुत मुकदमा एवयूज ऑफ प्रोसिस एण्ड लॉ है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस प्रार्थी को बेवजह गिरफ्तार करना व प्रार्थी की प्रतिष्ठा व प्रार्थी के घरवालों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहती है और यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षतियों हो जावेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से बिना कोई उचित कारण बताये दर्ज करायी गयी है। डिलेटिड प्रथम सूचना रिपोर्ट है। पुलिस बराबर प्रार्थी को जेल भेजने की बात लोगों से कह रही है और प्रार्थी को पुलिस जेल भेजना चाहती है। प्रार्थी उपरोक्त केस में अपनी जमानत देने को तैयार है तथा दौरान जमानत अवधि जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करेंगे। अतः प्रार्थी को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी वादी मुकदमा धर्मपाल सिंह चौहान द्वारा दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण निसार अहमद मंसूरी व उसके पुत्रगण इम्तियाज मंसूरी व सादाब मंसूरी द्वारा ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर विभिन्न तिथियों में वादी से चेक एवं नकद के माध्यम से कुल ₹3,67,500/- की धनराशि प्राप्त की गयी। अभियुक्तगण द्वारा ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, किन्तु न तो ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया और न ही प्राप्त धनराशि वापस की गयी। अभियुक्त द्वारा दिये गये चेक धनाभाव के कारण अनादरित हो गये तथा बाद में समझौता होने के बावजूद भी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा छलपूर्वक वादी को गुमराह कर धनराशि प्राप्त की गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था– गुरूबक्स सिंह सीरिया बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट–1632** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग विशेष व असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

7. **विधि व्यवस्था पी.चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि०अ०स० 1340/2019 निर्णय दिनांकित 05.09.2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग कभी –कभार अति–आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। अग्रिम जमानत स्वीकार किया जाना नियम नहीं है, और अग्रिम जमानत तभी दिया जाना चाहिये जब न्यायालय इस बात से सतुंष्ट हो कि असाधारण उपचार की आवश्यकता है, ऐसे में ही अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिये।

8. उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धातों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये। उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शित की गयी है, जिससे कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित हो। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

9. मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायहित में नहीं है। मामले की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **इम्तियाज** का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः12-03-2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.03.12 17:42:56 +0530